संख्या-2804 /X-2-2009-12(9)/2006

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 04 अक्टूबर, 2009

विषयः-अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की ''वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना'' योजना हेतु वर्ष 2009-10 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0-2518/X-2-2008-12(9)/2006 दिनांक 27 अगस्त, 2009 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक-33PA/3-5 दिनांक 10 सितम्बर, 2009, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की **''वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना''** योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में **रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय। आहरण एवं व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मूल स्वीकृत योजना में इंगित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों तथा लक्षित उदेश्य अनुसार इंगित Outcome के सापेक्ष प्रगति सन्तोषजनक है एवं योजना उपयोगी साबित हुई है।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. नये कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व समग्र विवरण/कार्ययोजना प्रस्तुत कर शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाय.
3. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम. -13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
4. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.
5. विभिन्न योजनाओं हेतु अनुमोदित कार्यक्रम, विभागीय आवश्यकता के क्रम में योजना की उपयोगिता/ आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि व्यय की जाय. वाहन/मोटर गाड़ी क्रय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय.
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः 2

8. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

9. चंकि मूल स्वीकृत योजना में वर्णित वित्त/भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति तथा लक्षित आऊट कम के सापेक्ष प्रगति, का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः चालू योजना होने के आधार पर योजनागत पक्ष की स्वीकृतियों का प्रकरण होने के कारण इस प्रतिबन्ध के साथ वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है कि विभागाध्यक्ष के स्तर पर मूल स्वीकृत योजना के भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति तथा लक्षित उद्देश्य अनुसार इंगित आऊट कम के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक होने तथा योजना उपयोगी होने पर ही धनराशि व्यय की जायेगी, तथा अग्रेत्तर इस सूचनाओं सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में मानक मद संख्या 26 एवं 42 में आवंटित धनराशि को कोषागार के माध्यम से आहरित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800- अन्य व्यय 34-''वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना'' योजना के अन्तर्गत संलग्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 188(P)/XXVII(4)/2009, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-2804(1)/X-2-2009, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, नैनीताल.
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
10. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश सं0-2804 /X-2-2009-12(9)/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2009 का संलग्नक-

(धनराशि रू0 हजार में)

क0 सं0	लेखा शीर्षक/योजना का नाम	मानक मद	मद प्रकार	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	आय-व्ययक प्रावधान	वि.त्तीय स्वीकृति का वर्तमान प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
		अनुदान सं0-27				
	2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन				
	01-	वानिकी				
	102-	समाज तथा फार्म वानिकी				
1	34-00-	वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना				
		08- कार्यालय व्यय	कोषागार	0	150	150
		11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई		0	150	150
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		0	300	300
		18- प्रकाशन		0	400	400
		44- प्रशिक्षण व्यय		0	4000	4000
		42- अन्य व्यय		0	2500	2500
		25- लघु निर्माण	साख-सीमा	0	2500	2500
		योजना का योग		**0**	**10000**	**10000**

(वर्तमान स्वीकृति रू0 एक करोड़ मात्र)

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव